

- तेल तथा तेल रहित खली प्राप्त करने हेतु प्रसंस्कृत तिलहन की अनेक विलायक निस्सारण इकाइयों के साथ मिलकर प्रसंस्करण व्यवस्था करना;
- स्टॉक और बिजली प्रचालनों के तहत निर्यात हेतु बाजार से निस्सारण/तेल रहित खली स्थानीय रूप से प्राप्त करना।

इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम मध्य प्रदेश राज्य में रायपुर से निर्यात हेतु चावल प्राप्त करने की संभावनाओं का भी पता लगा रहा है।

(ग) और (घ) देश के प्रत्येक राज्य में कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम के विचारधीन नहीं है। देश के अनेक भागों में स्थित राज्य व्यापार निगम के मौजूदा 19 शाखा कार्यालय निर्यात आवश्यकताओं, आपूर्ति आधार के विकास और आयात वितरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

2518. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह:

श्री अजीत जोगी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनकी मुक्ति तथा पुनर्वास हेतु तैयार की गई/किये जाने वाले कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक मुक्त किये गये/पुनर्वासित किये गये बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार संख्या विशेषकर मध्य प्रदेश में कितनी-कितनी है;

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को, विशेषकर मध्य प्रदेश को, इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें मुक्त करने तथा पुनर्वासित करने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा समिति ने क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ग) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 2,51,424 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई है जिनमें से 2,30,915 बंधुआ श्रमिकों को, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पुनर्वासित किया गया है। जिसमें प्रति बंधुआ श्रमिक के लिए 10,000/- ₹ की अधिकतम सीमा की पुनर्वास सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा (50:50) आधार पर बराबर-बराबर वहन किया जाता है। पहचान किए गए/मुक्त किए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्गत की गई निधि के ब्यौरा नीचे दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसी निधि की मांग नहीं की गई है। क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखे जाते हैं।

प्रायोजित योजना के अधीन निर्गत की गई राशि
(₹ लाखों में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आन्ध्र प्रदेश	101.41	31.25	79.37
बिहार	6.18	6.61	—
कर्नाटक	171.50	42.66	2.84
केरल	6.03	—	—
उड़ीसा	5.75	0.39	1.63
राजस्थान	1.69	3.28	5.70
तमिलनाडु	1.59	1.12	—
कुल	294.15	85.31	89.54

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठाता।

विवरण

बंधुआ श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	पहचाने गये और मुक्त किये गये	पुनर्वासित
आन्ध्र प्रदेश	36, 289		29,553
बिहार	12,986		12,270
कर्नाटक	62,708		55,231
मध्य प्रदेश	12,804		11,897
उड़ीसा	49,971		46,808
राजस्थान	7,478		6,217
तमिलनाडु	38,886		39,375
महाराष्ट्र	1,382		1,300
उत्तर प्रदेश	27,489		27,469
केरल	823		710
हरियाणा	544		21
गुजरात	64		64
कुल	2,51,424		2,30,915

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बेरोजगारी को समाप्त किया जाना

2519. श्री राम जेठमलानी: क्या भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बेरोजगारी को पूर्णतया समाप्त करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा क्या रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु भी कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष सृजित किये जाने वाले सम्भावित रोजगार अवसरों का आवश्यक प्रतिशत कितना-कितना होगा;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक योजना के अंतर्गत रोजगार के किन अवसरों को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है, उनका अनुमानित प्रतिशत कितना-कितना है?

भ्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। सन् 2002 तक औसतन 8.5 मिलियन प्रतिवर्ष अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करके लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक मध्यवर्गीय रोजगार नीति तैयार की गई है। रोजगार वृद्धि की नीति की नौवीं योजना में भी जारी रहने की संभावना है तथा 1997-2002 की अवधि के दौरान औसतन 9.5 मिलियन प्रतिवर्ष अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की सम्भावना है। रोजगार वृद्धि की इस दर को प्राप्त करने हेतु इस योजना में उच्च घनत्व रोजगार वाले सेक्टरों, सब-सेक्टरों यथा, कृषि, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण संघटक, लघु एवं विकाशकृत विनिर्माण क्षेत्र, औपचारिक शहरी क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र, की वृद्धि पर बल देते हुए रोजगार नीति की परिकल्पना की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले से चल रही योजनाओं जैसे आई आर डी पी, जे आर वाई, तथा एन आर वाई के अतिरिक्त नई रोजगार योजनायें यथा, रोजगार आधारित योजना (ई ए एस), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा के वी आई सी की 2 मिलियन रोजगार वाली योजना आरंभ की गई है। जनसंख्या के गरीब तबके के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के साथ प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम भी रोजगार सृजन का एक घटक है।

(घ) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 1/79, अनुपत्र संख्या 55]

Import of Cardamom

2520. SHRI JOY NANDUKKARA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of cardamom imported to India during the year 1996-97 so far;

(b) the reasons for allowing import of cardamom when there is strong objection to the import thereof from cardamom growers within the country; and

(c) the names of the countries from which cardamom was imported during the years 1993-94, 1994-95 1995-96 and on date in 1996-97?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) During 1996-97 (April-August, 1996), 486